



**स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय**

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 15, श्रीगंगानगर रोड, बीछवाल - बीकानेर - 334006 (राजस्थान)

Phone : 0151-2250025 Fax : 0151-2250025 E-mail: reg@raubikaner.org

दिनांक 25.07.2017 को प्रातः 11.00 बजे सभागार, कुलपति सचिवालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल की 96वीं बैठक के कार्यवृत्त।

निम्न सदस्य उपस्थित थे :-

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. डॉ० बी०आर० छीपा,  | अध्यक्ष        |
| कुलपति   |                |
| 2. डॉ० प्रवीण सिंह राठौड़,                                     |                |
| कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर-जयपुर एवं | सदस्य          |
| राज्य सरकार द्वारा मनोनीत विख्यात वैज्ञानिक                    |                |
| 3. श्री संजय कश्मीरी,  | सदस्य          |
| महामहिम कुलाधिपति द्वारा मनोनीत विख्यात शिक्षाविद्             |                |
| 4. डॉ० एन० वी० पाटिल,  | सदस्य          |
| निदेशक (रा०ऊ०अ०के०) एवं भा०कृ०अ०प० द्वारा मनोनीत सदस्य         |                |
| 5. श्री ए०एस० छीपा,  | सदस्य          |
| संयुक्त निदेशक (कृषि) प्रतिनिधि आयुक्त कृषि, राजस्थान सरकार    |                |
| 6. डॉ० एस०के० शर्मा,   | सदस्य          |
| निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय, बीकानेर                         |                |
| 7. डॉ० (श्रीमती) दिपाली धवन,                                   | सदस्य          |
| अधिष्ठाता, गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर                    |                |
| 8. डॉ० जे०पी० लखेरा,   | सदस्य          |
| आचार्य (प्रसार शिक्षा), प्रसार शिक्षा निदेशालय, बीकानेर        |                |
| 9. डॉ० सुभाष चन्द्र,   | सदस्य          |
| आचार्य (प्रसार शिक्षा), प्रसार शिक्षा निदेशालय, बीकानेर        |                |
| 10. श्री दशरथ प्रसाद   | सदस्य          |
| सहायक आचार्य, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर               |                |
| 11. डॉ० एन०के० पारीक,  | सदस्य          |
| सहायक आचार्य, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर                   |                |
| 12. श्री बी०एल० सर्वा,   | आमंत्रित सदस्य |
| वित्त नियंत्रक   |                |
| 13. श्री नरेन्द्र पाल सिंह, आ०ए०एस०                            | सदस्य सचिव     |
| कुलसचिव  |                |

महामहिम कुलाधिपति द्वारा मनोनीत विख्यात शिक्षाविद् श्री नन्द किशोर पांडे, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, प्रमुख शासन सचिव (कृषि), प्रमुख शासन सचिव (पशु पालन), प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) राजस्थान सरकार प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भाग नहीं ले सकें।





बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव एवं सदस्य सचिव द्वारा प्रबन्ध मण्डल के पूर्व सदस्य श्री हरीश राजानी महामहिम कुलाधिपति द्वारा मनोनीत विख्यात शिक्षाविद्, डॉ० गोपाल कृष्ण जोशी, माननीय विधायक बीकानेर (पश्चिम), डॉ० सी०बी० गेना, पूर्व कुलपति, एम०जी०एस०, बीकानेर एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत विख्यात वैज्ञानिक, श्री सुमित गोदारा, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रगतिशील किसान, डॉ० आई०जे० गुलाटी, पूर्व अधिष्ठाता, डॉ० (श्रीमती) विमला डूकवाल, आचार्य, डॉ० यू०एस० शेखावत, आचार्य एवं श्री अरविन्द सिंह शेखावत, पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा प्रबन्ध मण्डल सदस्य के रूप में दिये गये सहयोग एवं सेवाओं की सराहना के साथ ही नये मनोनीत सदस्य प्रो० नन्द किशोर पांडे, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा एवं महामहिम कुलाधिपति द्वारा मनोनीत विख्यात शिक्षाविद्, श्री संजय कश्मीरी, महामहिम कुलाधिपति द्वारा पुनः मनोनीत किये जाने पर, डॉ० प्रवीण सिंह राठौड़, कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर-जयपुर एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत विख्यात वैज्ञानिक, डॉ० (श्रीमती) दिपाली धवन, अधिष्ठाता, गृह विज्ञान महाविद्यालय, डॉ० जे०पी० लखेरा, आचार्य (प्रसार शिक्षा), डॉ० सुभाष चन्द्र, आचार्य (प्रसार शिक्षा) एवं श्री बी०एल० सर्वा, वित्त नियंत्रक व बैठक में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत किया।

बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय पारित किये गये।

मद संख्या	विवरण
एसकेराकृवि/बोम-96/ 2017-1/1304	विश्वविद्यालय की 94वीं प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 22.08.2016 एवं 95वीं प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 19.10.2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत।  माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय की 94वीं प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 22.08.2016 एवं 95वीं प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 19.10.2016 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।
एसकेराकृवि/बोम-96/ 2017-1/1305	विश्वविद्यालय की 94वीं प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 22.08.2016 एवं 95वीं प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 19.10.2016 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही की पुष्टि करने बाबत।  माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय की 94वीं प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 22.08.2016 एवं 95वीं प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 19.10.2016 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही का अवलोकन कर निम्न के साथ अनुमोदन किया गया।  3. स्वाकेराकृवि/बोम—94/2016-2/1280 (SKRAU/AC-47/2016-1/206(6)) यह पारित किया गया कि अधिसंख्य सीटें (Supernumerary Seats) में 20 छात्रों के प्रवेश में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से उच्च माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के संबंध में अंको का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित फॉर्मूला के आधार पर गणना करते हुए श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर की भाँति इस विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2017-18 में शीघ्रताशीघ्र विज्ञप्ति जारी कर नियमानुसार प्रवेश दिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उत्तमा वृत्तिस्तु कृषिकर्मैव





एसकेराकृवि/बोम-96/ 2017-1/1306	<p>विश्वविद्यालय की 48वीं विद्या परिषद् की विशेष बैठक दिनांक 19.10.2016 एवं 49वीं विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 24.05.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत।</p> <p>माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय की 48वीं विद्या परिषद् की विशेष बैठक दिनांक 19.10.2016 एवं 49वीं विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 24.05.2017 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।</p>
एसकेराकृवि/बोम-96/ 2017-1/1307	<p>माननीय कुलपति महादेय द्वारा जारी आदेश/विज्ञप्ति की पुष्टि करने बाबत</p> <p>माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत आदेश/विज्ञप्ति का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।</p>
एसकेराकृवि/बोम-96/ 2017-1/1308	<p>विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों की भर्ती में विशेष योग्यजन को 3 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने बाबत।</p> <p>माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रकरण में विचार-विमर्श उपरान्त राज्य सरकार के नियमानुसार विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों की भर्ती में विशेष योग्यजन को 3 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का अनुमोदन किया गया।</p>
एसकेराकृवि/बोम-96/ 2017-1/1309	<p>विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर 20 प्रतिशत फीस बढ़ोतरी को सभी छात्र/छात्राओं (पुराने व नये) पर क्रियान्वयन करने की समीक्षा के संबंध में।</p> <p>माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रकरण में विचार-विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत फीस बढ़ोतरी को शैक्षणिक सत्र 2018-19 में नये प्रवेशित छात्र/छात्राओं पर लागू किये जाने हेतु समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि उक्त बढ़ोतरी प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों पर लागू उनके अन्तिम वर्ष उत्तीर्ण होने तक वही शुल्क रहेंगा।</p>
एसकेराकृवि/बोम-96/ 2017-1/1310	<p>स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर की वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 का अनुमोदन करने बाबत।</p> <p>माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर की वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।</p>
एसकेराकृवि/बोम-96/ 2017-1/1311	<p>माननीय कुलपति महादेय द्वारा जारी आदेशों को अनुमोदित करने बाबत।</p> <p>माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत आदेशों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।</p>
एसकेराकृवि/बोम-96/ 2017-1/1312	<p>विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ० 27(5) आरबी/2017/4986 दिनांक 21.06.2017 जिसमें विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा ने स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिनियम 1987 (संशोधित अधिनियम 2013) की धारा 19(1) के अन्तर्गत नये कुलपति की नियमित</p>





	<p>नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का गठन किया जाना है, जिस हेतु चयन समिति में विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा एक सदस्य का मनोनयन किया जाना है ।</p> <p>माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रकरण में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तत्पश्चात् निर्णय लिया गया कि माननीय कुलपति द्वारा चयन समिति हेतु मनोनयन किये जाने वाले सदस्य के लिये विख्यात शिक्षाविदों की सूची मय पूर्ण विवरण सहित अतिशिष्ट होने वाली आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारार्थ रखा जावे। जिसमें से उक्त बैठक में विख्यात शिक्षाविदों की सूची में से एक विख्यात शिक्षाविद् का मनोनयन चयन समिति हेतु कर लिया जाएगा। यह निर्णय लिया गया कि इस आशय से विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर को सूचित कर दिया जावे।</p>
एसकेराकृवि/बोम-96/2017-1/1313	<p>कार्यक्रम समन्वयक (सीनियर साईन्सिस्ट एण्ड हैड) एवं विषय विशेषज्ञ (सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट) के पद पर चयन हेतु चयन समिति के गठन को स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के संशोधित परिनियम 12 के अन्तर्गत सम्मिलित करने बाबत।</p> <p>माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा कार्यक्रम समन्वयक (सीनियर साईन्सिस्ट एण्ड हैड) एवं विषय विशेषज्ञ (सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट) के पद पर चयन हेतु चयन समिति के गठन के प्रकरण में विस्तृत विचार-विमर्श कर निम्नानुसार पारित किया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कार्यक्रम समन्वयक (सीनियर साईन्सिस्ट एण्ड हैड) हेतु चयन समिति में स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के संशोधित परिनियम 12(3)(3) में वर्णित दो विषय विशेषज्ञों के स्थान पर उप महानिदेशक (कृषि विस्तार)/सहायक महानिदेशक (कृषि विस्तार), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली/ निदेशक विस्तार शिक्षा (राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों) में से किन्ही दो सदस्यों को पेनल में सम्मिलित किया जावे तथा शेष सदस्य स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के संशोधित परिनियम 12(3) (सह-आचार्य) के अनुरूप रहेगा।</li> <li>विषय विशेषज्ञ (सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट) हेतु चयन समिति में स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के संशोधित परिनियम 12(3) (सहायक आचार्य) के अनुरूप रहेगा।</li> </ol> <p>साथ ही निदेशक विस्तार शिक्षा, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से पेनल की सूची मगवाई जाकर अधिनियम के अनुसार पेनल का अनुमोदित करने की अनुमति दी जाती है।</p>
एसकेराकृवि/बोम-96/2017-1/1314	<p>सहायक प्रोफेसर एवं समकक्ष पदों की भर्ती हेतु नेट की अनिवार्यता के संबंध में सहायक महानिदेशक (ई०क्यू०आर०), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र विचारार्थ।</p> <p>माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रकरण में विस्तृत विचार-विमर्श पश्चात् यह पारित किया गया कि सहायक महानिदेशक (ई०क्यू०आर०), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्,</p>





	नई दिल्ली से प्राप्त सहायक प्रोफेसर एवं समकक्ष पदों की भर्ती हेतु नेट की अनिवार्यता को विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में जारी की जाने वाली रिक्त पदों की विज्ञप्ति में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि पत्र प्राप्ति से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापित पदों पर नेट की अनिवार्यता लागू नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।												
एसकेराकृवि/बोम-96/2017-1/1315	वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.07.2017 के कार्यवृत्त को अनुमोदित करने बाबत्।  माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.07.2017 के कार्यवृत्त का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।												
एसकेराकृवि/बोम-96/2017-1/1316	विश्वविद्यालय का आय व्यय अनुमान वर्ष 2017-18 व संशोधित अनुमान वर्ष 2016-17 एवम् बैलेंस सीट वर्ष 2015-16 को अनुमोदित करने बाबत्।  माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय का आय व्यय अनुमान वर्ष 2017-18 व संशोधित अनुमान वर्ष 2016-17 एवम् बैलेंस सीट वर्ष 2015-16 का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।												
एसकेराकृवि/बोम-96/2017-1/1317	अन्य प्रकरण माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से विचार किया जायेगा।  1. विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2017 दिनांक 07.01.2017, विज्ञापन संख्या 02/2017 दिनांक 02.02.2017 एवं विज्ञापन संख्या 03/2017 दिनांक 08.06.2017 में रोस्टर संशोधन करने बाबत् प्रस्ताव प्राप्त हुआ। माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त विज्ञापनों में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जिन विषयों/पदों में रोस्टर बिन्दुओं की त्रुटि होना पाया है उनकी समीक्षा हेतु एक नवीन रोस्टर निर्धारण समिति का गठन किया जाता है, जिनमें निम्नांकित सदस्य होंगे:- <table><tr><td>1.</td><td>डॉ० एस०के० शर्मा, निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय, बीकानेर</td><td>अध्यक्ष</td></tr><tr><td>2.</td><td>डॉ० आर०एस० यादव, निदेशक, मानव संसाधन विकास निदेशालय, बीकानेर</td><td>सदस्य</td></tr><tr><td>3.</td><td>डॉ० (श्रीमती) विमला डूकवाल, अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर शिक्षा अध्ययन, बीकानेर</td><td>सदस्य</td></tr><tr><td>4.</td><td>डॉ० रमेश मीणा, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, कृषि महाविद्यालय, बीकानेर</td><td>सदस्य</td></tr></table> <p>श्री ओ०पी० बैरवा, सहायक कुलसचिव, स्थापना शाखा प्रथम एवं श्री आर०के० शर्मा, सहायक कुलसचिव नियुक्ति शाखा, एसकेराकृवि, बीकानेर उक्त समिति को सहयोग प्रदान करेंगे।</p> <p>समिति शिक्षा निदेशालय, बीकानेर एवं कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर में पदस्थापित रोस्टर निर्धारण अनुभाग से गहन अध्ययन कर अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करें साथ ही समिति से प्राप्त अनुशंसा पर राज्य सरकार से सेवा-निवृत्त उप शासन सचिव स्तर के अधिकारी की सेवाएँ मानदेय पर लेने की अनुमति भी प्रदान की गई। उसके उपरान्त उक्त विज्ञापनों में संशोधन हेतु विज्ञप्ति जारी की जावे।</p>	1.	डॉ० एस०के० शर्मा, निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय, बीकानेर	अध्यक्ष	2.	डॉ० आर०एस० यादव, निदेशक, मानव संसाधन विकास निदेशालय, बीकानेर	सदस्य	3.	डॉ० (श्रीमती) विमला डूकवाल, अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर शिक्षा अध्ययन, बीकानेर	सदस्य	4.	डॉ० रमेश मीणा, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, कृषि महाविद्यालय, बीकानेर	सदस्य
1.	डॉ० एस०के० शर्मा, निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय, बीकानेर	अध्यक्ष											
2.	डॉ० आर०एस० यादव, निदेशक, मानव संसाधन विकास निदेशालय, बीकानेर	सदस्य											
3.	डॉ० (श्रीमती) विमला डूकवाल, अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर शिक्षा अध्ययन, बीकानेर	सदस्य											
4.	डॉ० रमेश मीणा, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, कृषि महाविद्यालय, बीकानेर	सदस्य											





2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगूलेशन - 2010 की कैरियर एडवान्समेंट योजना के अन्तर्गत सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान) के सहायक आचार्य (चयनित ग्रेड) ए०जी०पी० 7000/- से 8000/- में पदोन्नति हेतु स्क्रीनिंग कम इवेल्यूशन समिति की दिनांक 14.07.2017 को आयोजित बैठक की अनुशंसा को अनुमोदित करने बाबत।

माननीय प्रबन्ध मण्डल ने उक्त वर्णित समिति की अनुशंसा को निम्नानुसार अनुमोदित किया :-

क्र स	विषय	सहायक आचार्य वरिष्ठ वेतनमान का नाम	चयनित ग्रेड ए०जी०पी० रूपये 8000/- में देय की तिथी
1.	शस्य विज्ञान	i. डॉ० दया नन्द	08.07.2015
		ii. डॉ० मदन लाल रेगर	11.07.2014
		iii. डॉ० शीशपाल सिंह	27.07.2014
2.	कीट विज्ञान	i. डॉ० वी०एस० आचार्य	07.07.2014
3.	कृषि प्रसार शिक्षा	i. डॉ० दीपक चतुर्वेदी	07.07.2014
4.	उद्यानिकी	i. डॉ० बलबीर सिंह	11.07.2014
		ii. डॉ० ऐ०के० श्रीवास्तव	25.07.2014
5.	पशु उत्पादन	i. डॉ० रणजीत सिंह राठौड़	28.07.2014
6.	गृह विज्ञान प्रसार एवं संचार प्रबन्धन	i. डॉ० (श्रीमती) सीमा चावला	26.07.2014

आसन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

( नरेन्द्र पाल सिंह )  
आर०ए०एस०

कुलसचिव

व

सदस्य सचिव प्रबन्ध मण्डल

( प्रो० बी०आर० छीपा )

कुलपति

एवं

अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल